Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायती राज्य की भूमिका : एक समीक्षा

विजय कुमार विश्वकर्मा

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखण्ड।

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 235-242

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

शोधसारांश – आत्मनिर्भर भारत को साकार बनाने में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यदि गावों में बुनियादी सुख-सुविधाओं के साथ संवैधानिक पंचायती कार्य को संपन्न किया जाय तो रोजगार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर मांग व पूर्ति का सामंजस्य बना रहेगा जिससे कि जीवन यापन में कठिनाई नहीं होगी। किंतु शक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति दल, पदाधिकारी की मानसिकता, भ्रष्टाचार आदि के कारण ना तो कार्यों का पूर्ण संपादन किया जा रहा है और ना ही पारदर्शिता दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं आवंटित राशि भी भ्रष्टाचार के जाल में फंस कर कुछ ही राशि कार्यों पर व्यय किया जा रहा है। जिससे कि संपूर्ण कार्य को क्रियान्वयन करने में वित्त की समस्या बनती जा रही है। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना है तो निश्चित रूप से वित्त पर विशेष ध्यान देना होगा तथा जनप्रतिनिधि सेवा भाव से कार्य को करेंगे। नहीं तो राजीव गांधी के किए गए प्रश्न यदि हम ₹1 विकास के लिए दिल्ली से भेजते हैं तो गांव स्तर पर मात्र 16 पैसे प्राप्त होते हैं ऐसे हालात में उन 84 पैसों का क्या होता है और कहां गया? यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा गया तो निश्चित रूप से आवंटित राशि और कार्य क्रियान्वयन में सदैव असंतुलन बना रहेगा।

मुख्य शब्द – आत्मनिर्भर, भारत, पंचायती, राज्य, जनसंख्या, गांव, शक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति दल, पदाधिकारी, मानसिकता, भ्रष्टाचार।

प्रस्तावना : एक लंबे संघर्ष के फलस्वरूप अपना देश गुलामी की जंजीरो से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति एवं विकास को नई गति देने के लिए वृहत पैमाने पर प्रयास किए गए I कृषि एवं उद्योगों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया I देश के विभिन्न क्षेत्रकों में विकास के लिए केंद्रीय पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई I भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही कृषि और उद्योगों को प्रमुखता दी गई थी। कृषि में जहां कृषि यंत्र, उन्नत बीज और उर्वरक को सुलभ रूप से उपलब्ध कराना था वहीं उद्योगों के लिए कच्चा सामग्री, सस्ते व कुशल श्रमिक तथा ईंधन को सुलभता के साथ उपलब्ध कराना था। यह भी यथार्थ है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

गांवो में निवास करती है। इसी जनसंख्या को अधिक पैमाने पर रोजगार व बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना था। सत्ता का विकेंद्रीकरण करके भारत के अंतिम पायदान तक विकास के प्रयास पहुंचे इसके लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आम नागरिक का शासन अर्थात पंचायती राज्य शासन व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी जी के जयंती पर किया । तमाम प्रयासों के बावजूद, आजादी के 75 वर्षो के बाद भी पंचायतों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सका। हाल ही में कोरोना महामारी ने ग्रामीण अर्थव्यस्था, एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी जनसंख्या पर भयंकर दुष्प्रभाव डाला है, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार से हाथ धोना पड़ा । कोरोना महामारी से उपजी आजीविका संकट से पंचायती राज्य के पुनर्संगठित कर और अधिक सशक्त करने की मांग अपरिहार्य हो जाता है। वर्तमान समय में 'आत्मनिर्भर भारत के निर्माण' को विकास के प्रमुख लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है, ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान किए बिना यह संभव नहीं है I प्रस्तुत आलेख वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायती राज की भूमिका एवं इसके चुनौतियों पर एक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावित शोध पत्र के उद्देश्य और लक्ष्य –

- प्रस्तुत आलेख का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायती राज की भूमिका एवं इसके चुनौतियों की समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है । इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन सम्मिलित है –

1. पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय मजबूती प्रदान करने में प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
2. पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था को जानना।
3. पंचायती राज व्यवस्था में सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का सदुपयोगिता का पता लगाना।
4. पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता को जानना।

साहित्यिक समीक्षा -

सुर, देवाशीष(2020) में शोधकर्ता ने एक अध्ययन में बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उसके क्रियात्मक पक्षों तथा प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए इनकी बाधाओं को दूर करना होगा, तभी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अशरफ (2021) ने अपने एक अध्ययन "ए रिव्यू ऑफ सोर्स....." जो मुख्य रूप से कलकत्ता(पश्चिम बंगाल) के परिप्रेक्ष्य में किया गया था में बताया कि आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संपन्न किया जा सकता है। जोशी (2022) ने अपने एक अध्ययन में रेखांकित किया है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करा करके ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है । क्योंकि यह महिलाएं पंचायतों राज शासन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करती हैं। तनय (2022)ने अपने एक अध्ययन में आत्मनिर्भरता के लिए वित्तीय संकट को दूर करने तथा सुधार के लिएअत्यधिक बल दिए जाने की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट किया है ।

आंकड़ों के प्रकार एवं संकलन के स्रोत: किसी भी शोध कार्य के लिए तथ्यों का संकलन अति आवश्यक होता है जो वैधता विश्वसनीयता तथा सार्थकता की उपस्थिति की जांच करता है। यह तभी संभव हो जब हमारा समंक विश्वसनीय हो, तभी इस पर किया गया कार्य वास्तविकता के निकट होता है। इस शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से विषय वस्तु की प्रस्तुति की गई है, जिसमें लेख, शोध, रिपोर्ट एवं पत्रिकाएं, जर्नल, इंटरनेट आदि की सहायता से सूचनाओं को एकत्रित किया गया है।

शोध प्रविधि : शोध के उद्देश्य तथा क्षेत्र के अनुसार ऐतिहासिक, तुलनात्मक, सारणीकरण आदि पद्धतियों का सहारा लिया गया है। साथ ही वित्त मंत्रालय में प्रकाशित आंकड़ों के लिए विवरणात्मक विधि का उपयोग किया गया है।

सैद्धांतिक व व्यवहारात्मक पक्ष : हालांकि गावों की आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था और हम सब जानते हैं कि पंचायत प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई I इसके बाद के कुछ वर्षों में कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी थी। वैश्विक कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को मौत के तांडव से लॉकडाउन तक करना पड़ा। परिणाम स्वरूप अपने देश में पहला जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 तथा 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगाना पड़ा। देश की सभी जनता ने इस लॉकडाउन का समर्थन व स्वागत किया किंतु जब यह लॉकडाउन में विस्तार समय-समय पर किया गया तो इससे आम जनता को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ा। पेट भरने के साथ-साथ मकान के किराए जो अधिकतर दूसरे राज्यों में प्रवासी थे, की व्यवस्था करना काफी कठिन हो गया। लोगों की सोच थी कि यदि जीवित रहेंगे तभी तो काम करेंगे। ऐसे हालात में पलायन होने लगा पलायन की प्रक्रिया दिन पर दिन बढ़ती गई। उद्योगों में कामकाज ठप होने लगे श्रमिकों की संख्या घटने लगी। परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। मांग ज्यादा थी परंतु उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। इसके कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक असंतुलन होने लगा। इस कारण देश में बेरोजगारी को दूर करना तथा वित्तीय संकट के समाधान के लिए आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को लाना अपरिहार्य हो गया।

देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 12 मई 2020 को "आत्मनिर्भर भारत" को पहली बार उद्बोधन सार्वजनिक रूप से किया था। यह वह समय था जब बीमारी का तांडव दिखाई दिया था। इसमें विकसित देश भी इस वैश्विक महामारी से बच न सके। इस घोषणा में विशेष रूप से आर्थिक पैकेज के रूप में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएं की गयी थी। हालांकि आत्मनिर्भर भारत शब्द पहली बार जून 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री जी ने पंचायत दिवस के उपलक्ष में इस बात पर जोर दिया था कि पंचायतों को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि यह भारतीय लोकतंत्र के आधार को और भी मजबूत किया जा सके। इसमें नए भारत की समृद्धि छिपी हुई है I क्योंकि जब पंचायत आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चित रूप से गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन कम करेंगे। वास्तव में गांव व शहर का मूलभूत अंतर देखा जाए तो मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा, बिजली, सड़क ही है। यदि इनकी उपलब्धता और सुलभता पंचायती स्तर पर कर दिया जाय तो पलायन को काफी हतोत्साहित किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों को राज्य तथा केंद्रीय स्तर से वित्त व तकनीकी सहायता प्रदान करके उनको

अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है ताकि गांव अपने मामलों पर आय के साधन तथा संसाधनों से पंचायतों को आत्मनिर्भर बन सके। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बीस लाख करोड़ रुपए की धनराशि की योजना बनायी गयी। वास्तव में यह एक चरणबद्ध रुप से कार्यक्रम था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तंत्र, जीवंत जनसांख्यिकी तथा मांग पर व्यय करना था।

तालिका-1.1.

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत उपलब्ध कराया गया कुल प्रोत्साहन

क्र.	**मद**		**(रु. करोड़ में)**
1	भाग 1		**5.94.550**
2	भाग 2		**3.10.000**
3	भाग 3		**1.50.000**
4	भाग 4 भाग 5		**48.000**
		उप कुल	**11.02.650**
5	पी एम जी के पी सहित **पूर्व के उपाय**		**1.92.800**
6	आरबीआई उपाय (वास्तविक)		**80.16.03**
		उप कुल	**9.94.403**
		कुल योग	**20.97.053**

स्त्रोत: योजना, दिसम्बर 2021, पृष्ठ संख्या. 41

जब स्थानीय स्तर पर शासन का विकेंद्रीकरण हुआ तथा संवैधानिक मान्यता भी मिली तो निश्चित रूप से चाहिए था कि संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारा जाए या यूं कहें कि इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने की आवश्यकता थी। परंतु वित्तीय शक्ति सबसे बड़ी समस्या थी और इस कार्य के लिए वित्तीय शक्ति की निहायत आवश्यकता पड़ती है। इस वित्त प्रबन्धन को कोई अलादीन के चिराग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है बल्कि आय के संसाधन के रूप में विकसित करना होगा। इसके लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को 29 कार्य सौंपे गए। इन कार्यों का संचालन वित्त के अभाव में नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कर लगाने का प्रावधान भी है परंतु राजनैतिक कारणों से कर लगाने और कार्यों का संपादन एवं क्रियान्वयन करने में तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन कार्यों का सही ढंग से क्रियान्वयन होता तो शायद इतने बड़े स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या पलायन नहीं करती क्योंकि प्रारंभिक दौर में इसे बहुत हल्के ढंग से लिया गया तथा स्थानीय स्तर पर शासन का विकेंद्रीकरण सिर्फ राजनैतिक

पेंच में फसा रहा। यदि इन राजनैतिक कारणों पर विचार किया जाए तो उस पर बहुत बड़े पैमाने पर पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। स्थानीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के लिए कुछ संसाधन इस प्रकार से हैं जैसे– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, आत्मनिर्भर राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, शौर्य पाठकों का विकास, 15वां वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, स्वयं के स्रोत एवं डेयरी उद्यमिता विकास योजना ।

किसी भी गांव का बुनियादी ढांचा उसका संरचनात्मक रूप बनाता है जिससे सही तरीके से कार्य का क्रियान्वयन किया जा सके। चूंकि ग्राम पंचायत बहुत हद तक अनुदान पर आश्रित होती है और यह निर्भरता उसके लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। क्योंकि स्वयं आय के स्रोत को विकसित नहीं किया जा रहा है इसके कारण विकास कार्य का संरचनात्मक व क्रियात्मक दोनों रूप से ग्राम पंचायत प्रभावित होता है इस ग्रामीण विकास कार्यक्रम को समन्वित रूप से अपनाया जाए तो निश्चित रूप से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लेकिन कुंठित विचारधारा व सेवा से परे व्यवहार के कारण यह पंचायत मात्र कठपुतली बन गया है जहां पर जाति, धर्म, संप्रदाय, शक्ति, दबंगई के कारण पंचायत के अधिकारी व कर्मचारियों को समन्वित रूप से काम करने में बाधा पहुंच रही है। पंचायत के अधिकारों का ज्ञान भी आम आदमी को स्पष्ट रूप से पता नहीं है। इतना ही नहीं आरक्षण पर तो जागरूकता का बहुत ही अभाव है विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति। हम सब जानते हैं कि महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित है इसी के आधार पर अगर महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी एक तिहाई क्रियात्मक रूप से पाया जाए तो निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी।

तालिका-1.2.

वित्त आयोगों में पंचायती राज व्यवस्था हेतु वित्त का प्रावधान

10 वें वित्त आयोग (1995–2000)	Rs. 4380.93 करोड़
11 वें वित्त आयोग (2000–2005)	Rs. 8000.00 करोड़
12 वें वित्त आयोग (2005–2010)	Rs. 20,000.00 करोड़
13 वें वित्त आयोग (2010–2015)	Rs. 63,050.00 करोड़
14 वें वित्त आयोग (2015–2020)	Rs. 2,00,292,.20 करोड़
15 वें वित्त आयोग (2020–2026)	Rs. 2,97,555.00 करोड़

स्त्रोत : पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (22 दिसंबर 2021)

यहां पर हम एक तालिका से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि 10 वें वित्त आयोग से लेकर 15वें वित्त आयोग तक अर्थात प्रत्येक आयोग में धनराशि की वृद्धि हुई है लेकिन जो धनराशि प्राप्त हुई और जो कार्य सौंपे गए क्या उस में समानता है? यदि तालिका पर हम नजर डालें तो कहा जा सकता है कि 10वें वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों को 4380.93 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित हुआ। वही 15वें वित्त आयोग में धनराशि बढ़कर ₹297555 पंचायतों को आवंटित किया गया। यदि इन्हीं दोनों आयोग की तुलना करें तो पाते हैं की 15वें वित्त आयोग में आवंटित राशि 10 वें वित्त आयोग की तुलना में 68 गुना अधिक है इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत यह तालिका इस बात को भी प्रमाणित करती है कि प्रत्येक वित्त आयोग में आवंटित राशि में वृद्धि किया गया जाहिर है कि आम आदमी के लिए संसाधनों की उपलब्धता को समानता के स्तर पर सुख-सुविधाओं को प्रदान करना है 14वें वित्त आयोग को देखते हैं तो 13वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग डेढ़ गुना अधिक पंचायतों को राशि आवंटित हुई। यह भी प्रमाणित करता है कृपया प्रत्येक आयोग में आवंटित राशि आत्मनिर्भर भारत की पहल में एक खोज फोर्स आधार बन रहा है लेकिन यदि हम आवंटित राशि पर ही निर्भर रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कार्य सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होगा इसके लिए हमें अर्थात पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कर लगाने एवं कर राशि को संग्रहित करने के लिए पारदर्शिता के साथ काम करना होगा तभी स्वस्थ राजस्व की प्राप्ति होगी और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पंचायतों के माध्यम से साकार किया जा सकता है।

भविष्य की संभावनाएं : आत्मनिर्भर भारत के संकल्पना को साकार पंचायतों के माध्यम से ही किया जा सकता है परंतु पंचायती राज सत्ता का वास्तविक स्थानांतरण दिखाई नहीं देता है। निसंदेह पंचायतों को आत्मनिर्भर यदि बनाने में कामयाब हो जाएं तो आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को विकसित किया जा सकेगा। साथ ही ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के लिए कर के सैद्धांतिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था के साथ-साथ जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से उठकर तथा सेवा की भावना को अंगीकृत करके पारदर्शिता लाना होगा। राजनीतिक दल का झंडा लेकर तमाम वादों को पूरा के रूप में घोषणा किया जाता है परंतु जीतने के बाद उनका घोषणा रेत पर लिखे गए शब्द की तरह समाप्त हो जाते हैं। पहले जो समस्याएं देखी जाती हैं, वही जीतने के बाद समस्या दिखती ही नहीं है। आम जनता भी दो वक्त की रोटी में पंचायती गतिविधियों को ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। निश्चित रूप से पंचायतों के स्तर पर गांव की जनसंख्या को प्रत्येक स्तर पर लाभान्वित किया गया तो आत्मनिर्भर भारत सफल होगा।

आत्मनिर्भर भारत के लिए पंचायती स्तर पर कुछ सुझाव -

1. गांव की गंदी नालियों से बह रहे पानी को संरक्षित कर उसका उपयोग कृषि कार्य में करके पानी की आत्मनिर्भरता में वृद्धि की जा सकती है।
2. गांव के प्रत्येक घर से जो जूठन निकलता है उसे पशुओं तक पहुंचाने में एकजुटता दिखानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सके।
3. बड़े स्तर पर किसानों के अनाजों को दलालों से मुक्त करना होगा तभी किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि होगी।

4. खेतों की सिंचाई के लिए प्लास्टिक पाइप का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए की सिंचाई करने के बाद पानी को आसानी से बंद कर किया जा सके ताकि किसी दूसरे खेत के लिए वह पानी एकत्रित करके सिंचाई के काम में लाया जा सके।

चुनौतियां : पंचायतों को इतनी संवैधानिक शक्तियों के मिलने के बावजूद भी पंचायतों में पदाधिकारी अपने कार्य को सही ढंग से निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं जो ये मुख्य कारण हो सकते हैं–

1. प्राय: पंचायतों में यह देखा जाता है कि आम जनता को पंचायत के सभी नियमों या सरकारी योजनाओं से जागरूक नहीं है।
2. पंचायतों में सत्ता, शक्ति, धर्म, जाति, संप्रदाय राजनीति दल आदि के कारण पंचायती प्रणाली कठपुतली की तरह बन गई है।
3. पंचायती प्रणाली में एक लंबे समय से किसी विशेष वर्ग का वर्चस्व एवं पदाधिकारी के रूप में देखा जा रहा है।
4. शासन विकेंद्रीकरण की बजाय केंद्रीकृत होती जा रही है।
5. महिलाओं की भागीदारी व सहभागिता तथा निर्णय करने में पुरुषों की अपेक्षा स्वतंत्र नहीं है अर्थात ये पुरुषों पर आश्रित है।
6. बड़े स्तर पर तीनों पंचायतों में अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला पंचायत में समन्वय का अभाव पाया जा रहा है।

निष्कर्ष - उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत को साकार बनाने में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यदि गावों में बुनियादी सुख–सुविधाओं के साथ संवैधानिक पंचायती कार्य को संपन्न किया जाय तो रोजगार के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर मांग व पूर्ति का सामंजस्य बना रहेगा जिससे कि जीवन यापन में कठिनाई नहीं होगी। किंतु शक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति दल, पदाधिकारी की मानसिकता, भ्रष्टाचार आदि के कारण ना तो कार्यों का पूर्ण संपादन किया जा रहा है और ना ही पारदर्शिता दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं आवंटित राशि भी भ्रष्टाचार के जाल में फंस कर कुछ ही राशि कार्यों पर व्यय किया जा रहा है। जिससे कि संपूर्ण कार्य को क्रियान्वयन करने में वित्त की समस्या बनती जा रही है। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना है तो निश्चित रूप से वित्त पर विशेष ध्यान देना होगा तथा जनप्रतिनिधि सेवा भाव से कार्य को करेंगे। नहीं तो राजीव गांधी के किए गए प्रश्न यदि हम ₹1 विकास के लिए दिल्ली से भेजते हैं तो गांव स्तर पर मात्र 16 पैसे प्राप्त होते हैं ऐसे हालात में उन 84 पैसों का क्या होता है और कहां गया? यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा गया तो निश्चित रूप से आवंटित राशि और कार्य क्रियान्वयन में सदैव असंतुलन बना रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. *सुर, देवाशीष और प्रसाद, सौरव (2020): आत्मनिर्भर भारत अभियानय ए क्रिटिकल अप्रेजल, जर्नल, वॉल्यूम* 13
2. *आलम,अशरफ और खान, आमिर और घोषाल,नीलांजन और सतपति (2021) ए रिव्यू ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सेल्फ रेलियंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अंडर–19 सिनेरियो, जर्नल वॉल्यूम* 21
3. *जोशी,पी.एल. (2022). अंडर पी.एम. मोदीयइंडियाज कमिटमेंट टू एंपावरिंग वूमेन हैज नेचर बेवर्ड, आर्टिकल*
4. *शर्मा,राकेश, (2011). पंचायती राज- तब और अब जाहन्वी प्रकाशन, दिल्ली*
5. *73वां संविधान संशोधन अधिनियम–1992*
6. *सूचना का अधिकार अधिनियम–2005*
7. *बसु, डॉ.दुर्गादास 2008: भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली*
8. *माहेश्वरी, सरला,1998: नारी प्रश्न, राधाकृष्ण प्रकाशन,प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली*
9. *धवन, हरिमोहन,(1998). महिला सशक्तिकरण–विविध आयाम, रावत पब्लिकेशन आगरा*
10. *योजना दिसंबर* 2021